न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 137/2008/75 एलआर एक्ट

1. महेन्द्र पुत्र मघाराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. चन्दूराम पुत्र मघाराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मदनलाल पुत्र अर्जनदास पुत्र मघाराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. विनोद पुत्र अर्जनदास पुत्र मघाराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. लालचंद पुत्र अर्जनदास पुत्र मघाराम जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. भगवानाराम पि0मु0 हजारी जाति नाई निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टीबी।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.08.87 व पालना आदेश दिनांक 26.08.2002 न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 857/94 जिसके द्वारा अपीलांटस की खातेदारी भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया, को अपास्त करवाने बाबत

उपस्थित :–
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–26.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा तहसीलदार टिब्बी के पत्र क्रमांक 2553 दिनांक 04.09.85 के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत एक तरफा तौर पर पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूमि ग्राम श्योदानपुरा बारानी के खसरा नं. 331 की 10 बिस्वा भूमि को बिना आवंटन करवाये खातेदारी लेना मानकर बहक सरकार लेकर रकबा राज दर्ज करने के आदेश दिये गये है जबकि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पूर्वजो की निकाली हुई भूमि है जिस पर अपीलांट व अपीलांटस के पूर्वज साधिकार लगातार काबिज है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस की बिना सुनवाई किये गलत पते पर नोटिस भिजवाया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट व रेस्पो0 के पिता का काफी अरसा पूर्व देहान्त हो गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मृतको के जायज व कानूनी वारिसो को रिकार्ड पर लिये मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अकृत एवं शुन्य होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 15.09.2008 को ज्ञान हुआ और ज्ञान होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 17.09.2008 को बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की गई जो ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक श्योदानपुरा बारानी के खसरा नं. 331 मिन की कुल 10 बिस्वा भूमि गैरदाखिलकार की कब्जा काश्त मे है जिसका नियमानुसार आवंटन नही करवाया गया और अपीलांट के पूर्वजो द्वारा

भू–प्रबन्धक विभाग से गलत खातेदारी प्राप्त ली गई। इसी आधार पर न्यायालय अपर जिला (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रश्नगत भूमि बहक सरकार कब्जा लेने का विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रश्नगत भूमि जो हजारी, मघा व अमीचन्द पि. धन्ना जाति नाई के नाम दर्ज थी जो विरासतन इनके वारिसान अपीलांटस (चन्दू, महेन्द्र पि. मघाराम, विनोद, लालचन्द, मदनलाल पि. अर्जनदास कौम नाई साकिन श्योदानपुरा) के नाम दर्ज हुई। न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा तहसीलदार टिब्बी के पत्र क्रमांक 2553 दिनांक 04.09.85 के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हजारी वगैरा की तामील हजारी आदि पि. धन्नाराम नायक साकिन ढाणी लाल खां के पते पर करवाई गई जबकि हजारी आदि की मृत्यु अरसा पूर्व हो चुकी थी तथा इनकी मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त भूमि इनके वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हो चुकी है परन्तु इसके बावजूद भी हजारी वगैरा के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सही पते नोटिस की तामील नही करवाई तथा इनका वास्तविक पता इनका वास्तविक पता चन्दू, महेन्द्र पि. मघाराम, विनोद, लालचन्द, मदनलाल पि. अर्जनदास कौम नाई साकिन श्योदानपुरा है परन्तु तामील हजारी आदि पि. धन्नाराम नायक साकिन ढाणी लाल खां के पते पर

करवाई जाकर बिना प्रभावित पक्षकार को सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.87 व पालना आदेश दिनांक 26.08.2002 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अपीलांटस एवं प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 23.03.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ